संख्याः– १७८ /अड़तीस–9–12–500(17)/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक २१ नवम्बर, 2012

विषयः– विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

(1)–प्रस्तर–1.2, 3.8 एवं 6.3 को निम्नवत् संशोधित/प्रतिस्थापित समझा जायः–

प्रस्तर–1.2

"इस योजना के दोनों सदनों के माननीय सदस्य गण सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष रू0 150.00 लाख की धनराशि तक विकास कार्य कराने का प्रस्ताव देंगे। प्रस्तर–3.8 की प्रथम पंक्ति एवं प्रस्तर–6.3 की अन्तिम पंक्ति में 75.00 लाख रूपये के स्थान पर रूपये 150.00 लाख पढ़ा जाय"

(2)– प्रस्तर–3.5 के आगे अनुवर्ती प्रस्तर–3.5(क) निम्नवत् पढ़ा जायः–

"इस योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु पूर्ववत् किसी प्रकार का सेंटेज व्यय देय नहीं होगा एवं सेंटेज व्यय की अनुमन्यता के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–2–23/दस–2011–17(4)75, दिनांक–25.01.2011 द्वारा की गयी व्यवस्था विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।"

(3)– प्रस्तर–3.9 के आगे उप प्रस्तर–3.9(क) निम्नवत् पढ़ा जायः–

"परिसीमन से प्रभावित विधान सभा क्षेत्रों में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की अवशेष धनराशि को एकीकृत करते हुए, उन क्षेत्रों की विधान सभा क्षेत्रों के समस्त मा0 सदस्यों की कुल संख्या में बराबर–बराबर विभाजित कर उपलब्ध करायी जा सकेगी।"

(4)–प्रस्तर–4.1 को निम्नवत् संशोधित/ प्रतिस्थापित समझा जायः–

"माननीय सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अलग–अलग चिन्हित किए जाने योग्य कार्यों के प्रस्ताव दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी एक कार्य की अनुमानित लागत रू0 25.00 लाख से अधिक न हो।"

–2/

**(5)—प्रस्तर—4.2 को निम्नवत् संशोधित/प्रतिस्थापित समझा जायः—**

"विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से इसी निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (भौतिक एवं वित्तीय प्रगति) की सूचना जन साधारण को शुल्क लेकर कार्यदायी संस्था/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी" के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जायः—

"विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विकास कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी नागरिकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त विवरण विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की बेबसाइट एन0आई0सी0 के माध्यम से तैयार कर अपलोड कराया जायेगा।"

**(6)—परिशिष्ट—1 में नया बिन्दु संख्या—28 व 29 निम्नवत् जोड़ा जायः—**

**बिन्दु संख्या—28**

"गृह विभाग के अन्तर्गत अग्निशमन विभाग की विभिन्न कियाशील ईकाइयों में फायर ब्रिगेड गाड़ियों, आग बुझाने के अन्य उपकरणों के कय के प्रस्ताव मा0 सदस्य द्वारा दिये जा सकेंगे। पूर्व से स्वीकृत/निष्प्रयोज्य हो चुके अग्निशमन वाहनों के पुनर्स्थापन के प्रस्तावों की स्वीकृति जनपद स्तर से प्रदान की जा सकेगी किन्तु नये अग्निशमन केन्द्र की स्थापना अथवा नये अग्निशमन वाहन/उपकरण के कय के प्रस्ताव, इनमें आवर्तक व्यय निहित होने के कारण शासन स्तर पर गृह विभाग एवं वित्त विभाग के माध्यम से स्वीकृत किये जा सकेंगे।"

**बिन्दु संख्या—29**

"विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा अधिकतम कुल रू0 25.00 लाख की धनराशि दुर्घटना, अग्निकांड, असाध्य रोगो से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु सहायता के रूप में दी जा सकेगी, जो सम्बन्धित जनपद द्वारा सीधे सम्बन्धित चिकित्सालय, अस्पताल अथवा चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की पात्रता का परीक्षण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 07 दिन की अवधि में अवश्य कर लिया जायेगा। उक्त सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पृथक से "गाइड लाइन" जारी की जायेगी।"

**(7)— परिशिष्ट—2 के बिन्दु संख्या—8 के आगे उप प्रस्तर बिन्दु संख्या—8(क) निम्नवत जोड़ा जायः—**

"निधि से किसी ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जायेगी जहॉ अनुशंसा करने वाले मा0 सदस्य अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस सोसाइटी/ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। जहॉ मा0 सदस्य/परिवार के सदस्य संस्था चलाने वाली सोसायटी/ट्रस्ट में किसी पद पर पदासीन नहीं हैं, तो ऐसी संस्थाओं को रू0 25.00 लाख की धनराशि से अधिक के प्रस्ताव नहीं किये जा सकेंगे। यदि ऐसी संस्था को योजना से रू0 25.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, तो अग्रेतर कार्यों के लिये अनुशंसा नहीं की जा सकेगी, किन्तु यदि किसी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित निजी क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कोई संस्था है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, एवं

—3/

उक्त ट्रस्ट/सोसाइटी में मा0 सदस्य स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्य अवैतनिक रूपसे पदाधिकारी हैं, तो ऐसी संस्था को उक्त निधि से धनराशि स्वीकृत करने हेतु सन्दर्भगत प्रतिबन्धों से छूट प्रदान करने के प्रकरणों पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा की अध्यक्षता अथवा उनके निर्देशानुसार गठित विधान मण्डल सदस्यों की समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। परिवार के सदस्यों के अन्तर्गत मा0 विधान मण्डल के सदस्यों के माता–पिता, भाई एवं बहन, बच्चे, पोते–पोतियाँ और उनके पति अथवा पत्नी और उनके ससुराल के लोग शामिल होंगे।"

2— उपरोक्तनुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय–समय पर जारी किये गये संगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– १७८ (1)/अड़तीस–9–2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
5— प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।
6— निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा,/मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
7— निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
8— निजी सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
11— समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने जनपद से सम्बन्धित समस्त मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को उक्त शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12— समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
13— वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–3।
14— ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
15— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।